

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीटासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बने डिग्रि
 व भूअनि बने डिग्रि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायत
 तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम लुकिमानिया तहसील रेलमगरा व
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 105 में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं - 345 लालपुर भिशन अधीर

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	लुकिमानिया	105	M.A-6-B शारवा, रेलमगरा	R.H.B. शारवा, रेलमगरा

पीटासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी

रेलमगरा
 दिनांक - 3/10/25

क्रमांक - 1/सकाव/2025/88
 प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. शक्ति पत्रावली।

पीटासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
 रेलमगरा